सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 81/2016 (2016/00130)

वादीगण

1. बिरदाराम पुत्र उदाराम
2. बालूराम पुत्र उदाराम
3. कानाराम पुत्र उदाराम
4. बोदूराम पुत्र उदाराम
5. मन्नुडी देवी पत्नी स्व0 नन्दाराम
6. छीतरराम पुत्र स्व0 नन्दाराम
7. मनोज कुमार पुत्र स्व0 नन्दाराम जाति कुम्हार निवासी हरितपुरा खारिया तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 नन्दाराम
2. टीकूराम पुत्र ईसरा राम
3. कानाराम पुत्र ईसरा राम
4. बंशीराम पुत्र ईसरा राम
5. मोहनराम पुत्र स्व0 जोधाराम
6. ईसरा राम पुत्र स्व0 जोधाराम
7. जमनाराम पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी हरितपुरा खारिया तहसील कुचामनसिटी ।
8. रधुवीर सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपूरा तहसील कुचामनसिटी।
9. उपपंजीयक, कुचामनसिटी।
10. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार, कुचामनसिटी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 7

निर्णय

दिनांक: 23/03/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम खारीया के पुराने खसरा नम्बर 44 रकबा 56 बीघा 6 बीस्वा का नवीन राजस्व ग्राम दीपपुरा के नये खसरा नम्बर 285, 287, 288 हुये। विभाजन के बाद नये खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 288 व 253 के खाता विभाजन के बाद 364/288, 287, 288, 285, 364/288, 365/285 कायम हुए। उक्त में चाव कंवर पत्नी केशरसिंह राजपूत ग्राम खारिया ने 42 बीघा भूमि जरिए रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 26.08.1972 को मोहन सिंह को 1/2 हिस्सा, नारायण सिंह को 1/4 हिस्सा, रूप सिंह को 1/4 हिस्सा का बेचान किया। रूपसिंह ने अपना 1/4 सम्पूर्ण हिस्सा जरीये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 06.12.1988 को वादीगण 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता/पति नन्दाराम को कर दिया। नारायणसिंह सिंह ने अपना 1/4 सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 06.12.1988 को प्रतिवादी संख्या 2,3,4 को बेचान कर दिया। मोहनसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा मोहनराम, ईश्वर राम को व 1/2 हिस्सा जमना राम, देवाराम को कर दिया। वादीगण ने वाद की इस्तदुआ अनुसार ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 365/285 रकबा 0.5000 है0, खसरा नम्बर 383/288 रकबा 1.17 है0 कुल 1.67 है0 का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जेकाश्त में होने से खातेदारी चाही है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 08.04.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 1,9,10 गैर हाजीर एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 7 की ओर से इकबाली जबाब शामिल मिसल है। दिनांक 29.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 8 के खिलाफ इकतरफा होकर पत्रावली वास्ते गवाह में रही। दिनांक 20.03.2018 को तहसीलदार ने जबाब पेश किया। पत्रावली दिनांक 23.03.2018 में सुनवाई हेतु होने से दिनांक 23.03.2018 को तहसीलदार कुचामनसिटी, पटवारी दीपपुरा व वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित। तहसीलदार कुचामनसिटी ने जबाब पेश कर निवेदन किया की वर्तमान में सबजेक्ट टू सेग्रीगेसन राजस्थान के निर्देशानुसार सेग्रीगेसन होकर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा जमाबन्दी में स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश होने से वाद का निस्तारण फरमावें।

वकुलाय ने भी तहसीलदार के जबाब अनुसार सहमति दी अतः वर्तमान में सबजेक्ट टू सेग्रीगेसन को मध्यनजर रखते हुए वादी का वाद स्वीकार कर निम्नप्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 365/285 रकबा 0.50 है0 व खसरा नम्बर 383/288 रकबा 1.17 है0 का वादीगण बिरदाराम को 1/5 हिस्सा, बालूराम को 1/5 हिस्सा, कानाराम को 1/5 हिस्सा, बादूराम को 1/5 हिस्सा पुत्र उदाराम, मन्नूडी देवी पत्नी स्व0 नन्दाराम को 1/20 हिस्सा, छीतरराम को 1/20 हिस्सा, मनोजकुमार को 1/5 हिस्सा, राजेन्द्र कुमार को 1/20 हिस्सा पुत्र स्व0 नन्दाराम जाति कुम्हार निवासी हरितपुरा खारिया तहसील कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का नाम हटाया जाता

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है। तहसीलदार का जबाब निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री परचा भरा जाकर शामिल मिसल हो। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 23/03/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)